अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. मोती लाल जांगिड पुत्र स्व॰ श्री रामजीलाल, आयु 66 वर्ष, जाति जांगिड,
2. जानकी देवी उर्फ नानगी देवी पत्नी श्री मोती लाल जांगिड

निवासी मकान नम्बर 34, आनन्द विहार, आकेडा डूंगर, रोड नम्बर 17, वी. के. आई एरिया, जयपुर हाल निवासी सी–70, रीको हाउसिंग रोड नम्बर 15, वी.के.आई एरिया, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जग मोहन पुत्र श्री मोती लाल, जाति जांगिड
2. पूजा पत्नी श्री जगमोहन जाति जांगिड

निवासी मकान नम्बर 34, आनन्द विहार, आंकेडा डूंगर, रोड नम्बर 17, वी. के. आई. जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.10.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 09/2019 ब उनवानी मोती लाल व अन्य बनाम जगमोहन व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 1 उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 01.04.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 09/2019 ब उनवानी मोती लाल व अन्य बनाम जगमोहन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी के दो पुत्र व पुत्रीयां है जिनमें सबसे छोटा पुत्र अविवाहित है बाकी सभी विवाहित है। अपीलार्थीगण का बडा पुत्र जगमोहन व उसकी पत्नी पूजा अपीलार्थीगण से झगडा करते है तथा उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है और उनका सामान ताला तोडकर चुरा लिया, जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण

ट्रेट
यपुर

अधिनियम 2007, दिनांक 30.05.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2019 पारित किया है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को बेइज्जत कर दिनांक 29.04.2019 को घर से निकाल दिया उनका सारा सामान ताला तोडकर चुरा लिया जिसके कारण अपीलार्थीगण इधर उधर भटकते फिर रहे है। अपीलार्थी जानकी देवी उर्फ नानगी देवी के नाम उपरोक्त मकान है जिसमें अपीलार्थीगण अपने पट्टेशुदा मकान में रहने का अधिकार रखते है। प्रत्यर्थीगण को उपरोक्त परिसर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी व्यस्क है और अच्छा खासा कमाते है, उन्हे अपने वृद्व माता–पिता को पर्याप्त भरण पोषण देना चाहिये तथा उनकी वृद्वावस्था में सेवा करनी चाहिये। अपीलार्थी संख्या 2 का स्वास्थय अक्सर खराब रहता है तथा आंखो से दिखाई नही देता है। अपीलार्थी संख्या 1 को ही खाना बनाना पडता है। अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सम्पति हडपने की बात स्पष्ट रूप से कही है जिस पर कोई गौर नहीं किया तथा पुत्र प्रदीप से कोई अनुतोष नहीं चाहा है फिर भी अधीनस्थ अधिकरण ने अपनी मर्जी से 500–500 रूपये दोनो पुत्रो द्वारा ज्वाईन्ट खाते में जमा कराने के आदेश दिये है। आज महंगाई के युग में 500/–रूपये पर्याप्त नहीं है। 500/–रूपये की आज के समय में कोई भी सामान पूरी तरह नहीं आता है तथा दवाई भी नहीं आती है भरण पोषण तो दूर की बात है। अपीलार्थीगण का स्वयं का मकान होते हुये भी उन्हे इधर उधर भटकना पड रहा है। अपीलार्थीगण को मकान का भौतिक कब्जा व भरण पोषण स्वरूप लगभग 5000/–रूपये प्रतिमाह दिलवाना चाहिये था। अधीनस्थ अधिकरण ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन पारित किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है के अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण के अपने पट्टेशुदा परिसर मकान नम्बर 34, आनन्द विहार, आकेडा डूंगर, रोड नम्बर 17, वी. के. आई एरिया, जयपुर को प्रत्यर्थीगण से दिलवाये जाने तथा उनके रहने पर प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा 000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

त्यर्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी अपनी पत्नी के साथ मकान नम्बर 34, आनन्द ेहार, आकेडा डूंगर, रोड नम्बर 17, वी. के. आई एरिया, जयपुर पर शांतिपुर्वक निवास करता है। त्यर्थी संख्या 1 की मासिक आय 6000/–रूपये है । प्रत्यर्थी स्वयं अपने माता पिता के साथ रहना ाहता है तथा उनकी सेवा करना चाहता है। लेकिन अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण को साथ रखने के िच्छुक नहीं है तथा अकारण की प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्व झूठी शिकायत अधीनस्थ अधीकरण मे स्तुत की है। अपीलार्थीगण आये दिन प्रत्यर्थीगण को आये दिन हैरान व परेशान करते रहते है। धीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज रमाई जावे।

भय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का लीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

धीनस्थ अधिकरण द्वारा दोनों पुत्रों को क्रमशः 500–500/– रूपये प्रति माह अपीलार्थीगण को ौर भरण पोषण दिये जाने के आदेश दिये जा चुके है। पुत्रों की आय को देखते हुये इसमें हम केसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है। अपीलार्थी संख्या 1 का कथन है कि त्यथीगण से हमें कुछ नहीं चाहिये, केवल इतना सुनिश्चित कर दे कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को ंग नहीं करे। यद्वपि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण वर्तमान में पृथक–पृथक मकान में रहते है। फिर

मजिस्ट्रेट
र) जयपुर

भी प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार से अपीलार्थीगण को तंग नहीं करें। इसकी सुनिश्चितता करने हेतु संबंधित थानाधिकारी ध्यान रखे तथा समय समय पर मानिटरिंग करातें रहें । फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय एवं थानाधिकारी वी के आई ए जयपुर को अपीलाधीन आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

1/4/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर